<u>**Bill No. 10 of 2018**</u>

THE CRIMINAL LAWS (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal procedure, 1973 in their application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.– (1) This Act may be called the Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Act, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

CHAPTER II

AMENDEMENT IN THE INDIAN PENAL CODE, 1860

2. Insertion of section 376-AA, Central Act No. 45 of 1860.- After the existing section 376-A, and before the existing section 376-B, of the Indian Penal code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

> "376-AA. **Punishment for rape on a woman up to twelve years of age.-** Whoever commits rape on a woman upto twelve years of age shall be punished with death, or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment

for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.".

3. Insertion of section 376-DD, Central Act No. 45 of 1860.- After the existing section 376-D, and before the existing section 376-E, of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"376-DD. **Punishment for gang rape on a woman up to twelve years of age.-** Where a woman up to twelve years of age, is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with death, or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.".

CHAPTER III

AMENDMENTS IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

4. Amendment of the First Schedule, Central Act No. 2 of 1974.- In the First Schedule of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), under the heading “I-OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE”.-

(i) after entries relating to section 376-A, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6
“376-AA.	Person committing an offence of rape on a woman up to 12 years of age	Death, or rigorous imprisonment of not less than 14 years but which may extend to imprisonment	Cognizable	Non-bailable	Court of Session”.

		for life which shall mean imprisonment for remainder of that person's natural life, and with fine.			

(ii) after entries relating to section 376-D, the following entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6
"376-DD	Gang rape on a woman up to 12 years of age	Death, or rigorous imprisonment of not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for remainder of that person's natural life, and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has come to the notice of the State Government that the offence relating to child rape and child gang rape are taking place every now and then. Such crimes are heinous and turn the life of the victim into hell. It is the prime duty of the society and the State to protect its offspring against all odds and give them an environment conducive to their mental and physical development. Therefore, such offences need to be dealt with an iron hand. The State Government is of the considered view that to protect the girl child upto twelve years of age from such heinous crimes, a deterrent punishment which may extend to the death of the offender should be provided for.

Accordingly, a new Section 376-AA is proposed to be added in the Indian Penal Code, 1860 so as to provide, that whoever commits rape on a woman upto twelve years of age shall be punishable with death or a rigorous imprisonment which shall not be less than fourteen years and which may extend to imprisonment for life, which means imprisonment for the remainder of the offender's whole life, and with fine.

Similarly, a new Section 376-DD is also proposed to provide that where a gang rape is committed on a woman upto twelve years of age, each of the persons constituting the gang shall be deemed to be guilty of the offence and shall be punished with death or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years and which may extend to imprisonment for life, which means imprisonment for the remainder of the offender's whole life, and with fine.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

गुलाब चन्द कटारिया
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE INDIAN PENAL CODE, 1860

(CENTRAL ACT NO. 45 OF 1860)

XX XX XX XX XX XX XX

376A. **Punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim.-** Whoever, commits an offence punishable under sub-section (l) or sub-section (2) of section 376 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death.

376B. **Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.-** Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation.—In this section, "sexual intercourse" shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375.

376C. **Sexual intercourse by person in authority.-** Whoever, being—

a. in a position of authority or in a fiduciary relationship; or

b. a public servant; or

c. superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or a women's or children's institution; or

d. on the management of a hospital or being on the staff of a hospital,

abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation l.—In this section, "sexual intercourse" shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375.

Explanation 2. —For the purposes of this section, Explanation I to section 375 shall also be applicable.

Explanation 3.—"Superintendent", in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women's or children's institution, includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmates.

Explanation 4.—The expressions "hospital" and "women's or children's institution" shall respectively have the same meaning as in Explanation to sub-section (2) of section 376.

376D. Gang rape.- Where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

376E. Punishment for repeat offenders.- Whoever has been previously convicted of an offence punishable under section 376 or section 376A or section 376D and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be

punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death.

XX XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM CODE OF CRIMINAL PROCEDURE ACT, 1973
(CENTRAL ACT NO. 2 OF 1974)

XX XX XX XX XX XX XX

THE FIRST SCHEDULE
CLASSIFICATION OF OFFENCES

XX XX XX XX XX XX XX

I-OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE

Section	Offence	Punishment	Cognizable or Non-Cognizable	Bailable or Non-Bailable	By what court triable
1.	2.	3.	4.	5.	6.

xx xx xx xx xx xx xx

CHAPTER XVI – OFFENCES AFFECTING THE HUMAN BODY

xx xx xx xx xx xx xx

1	2	3	4	5	6
xx	xx	xx	xx	xx	xx
376A	Person committing an offence of rape and inflicting injury which causes death or causes the woman to be in a persistent vegetative state.	Rigorous imprisonment of not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death.	cognizable	Non-bailable	Court of Session
376B	Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.	Imprisonment for not less than 2 years but which may extend to 7 years and with fine.	Cognizable (but only on the complaint of the victim).	Bailable	Court of Session
376C	Sexual intercourse by a person in authority.	Rigorous imprisonment for not less than 5 years but which may extend to 10 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
376D	Gang rape.	Rigorous	Cognizable	Non-	Court of

		imprisonment for not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine to be paid to the victim.		bailable	Session
376E	Repeat offenders.	Imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session

xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

¼izkf/kd`r fgUnh vuqokn½

<u>2018 का विधेयक सं. 10</u>

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को इनके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संशोधन

2. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 में धारा 376-कक का अन्त:स्थापन.- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 376क के पश्चात् और विद्यमान धारा 376ख से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**376कक. बारह वर्ष तक की आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दण्ड.-** जो कोई, बारह वर्ष तक की आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह मृत्युदण्ड से, या

कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"।

3. 1860 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 में धारा 376घघ का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 376घ के पश्चात् और विद्यमान धारा 376ङ से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**376घघ. बारह वर्ष तक की आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दण्ड.-** जहां बारह वर्ष तक की आयु की किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह मृत्युदण्ड से, या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"।

अध्याय 3
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन

4. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की प्रथम अनुसूची का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.

2) की प्रथम अनुसूची में शीर्षक "1. भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध" के अधीन,-

(i) धारा 376क से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6
"376कक.	12 वर्ष तक की आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाला व्यक्ति	मृत्युदण्ड, या कम से कम 14 वर्ष का कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय"।

(ii) धारा 376घ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"1	2	3	4	5	6
376घघ.	12 वर्ष तक की आयु की स्त्री से	मृत्युदण्ड, या कम से कम 20 वर्ष का कठोर	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय"।

	सामूहिक बलात्संग	कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना			

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि बालिकाओं से बलात्संग और बालिकाओं से सामूहिक बलात्संग के अपराध बार-बार हो रहे हैं। ऐसे अपराध जघन्य हैं और पीडि+ता के जीवन को नर्क बना देते हैं। समाज और राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि समस्त विषमताओं के विरुद्ध अपनी सन्तति की संरक्षा करे और उनको उनके मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक वातावरण प्रदान करें। इसलिए, ऐसे अपराधों से कठोरतापूर्वक निपटना आवश्यक है। राज्य सरकार का यह सुविचारित मत है कि बारह वर्ष तक की आयु की बालिकाओं को ऐसे जघन्य अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा भयकारी दण्ड (deterrent punishment) उपबंधित किया जाना चाहिए जो अपराधी की मृत्यु तक का हो सके।

तदनुसार, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में एक नयी धारा 376कक जोड़ी जानी प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि जो कोई बारह वर्ष तक की आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह मृत्युदण्ड से या कठोर कारावास से, जो चौदह वर्ष से कम का नहीं होगा और जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष संपूर्ण जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

इसी प्रकार, एक नयी धारा 376घघ भी यह उपबंध किये जाने के लिए प्रस्तावित है कि जहां बारह वर्ष तक की आयु की किसी स्त्री से सामूहिक बलात्संग किया जाता है, वहां समूह गठित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपराध का दोषी समझा जायेगा और वह मृत्युदण्ड से अथवा कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष

संपूर्ण जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडनीय होगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

गुलाब चन्द कटारिया

प्रभारी मंत्री।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

376क. पीडि+ता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड.- जो कोई, धारा 376 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

376ख. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन.- जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा, पृथक् रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा में, "मैथुन" से धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है।

376ग. प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन.- जो कोई,-

(क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए; या

(ख) कोई लोक सेवक होते हुए; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए; या

(घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारिवृंद होते हुए,

ऐसी किसी स्त्री को, जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरूपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1.- इस धारा में, "मैथुन" से धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत होगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 375 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3.- किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, "अधीक्षक" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है, जो जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण 4.- "अस्पताल" और "स्त्रियों या बालकों की संस्था" पदों का क्रमश: वही अर्थ होगा जो धारा 376 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में उनका है।

376घ. सामूहिक बलात्संग.- जहां किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु ऐसा जुर्माना पीडि+ता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीडि+ता को संदत्त किया जाएगा।

376ङ. पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड.- जो कोई, धारा 376 या धारा 376क या धारा 376घ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

XX XX XX XX XX

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

प्रथम अनुसूची

अपराधों का वर्गीकरण

XX XX XX XX XX

1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
1	2	3	4	5	6
XX	XX	XX	XX		XX
अध्याय 16-मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला अपराध					
XX	XX	XX	XX		XX
376क	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

	लगातार विकृतशील दशा हो जाती है	काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड			
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन	कम से कम दो वर्ष का कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय (किंतु केवल पीडि+ता द्वारा परिवाद करने पर)	जमानतीय	सेशन न्यायालय।
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन	कम से कम पांच वर्ष का कठोर कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
376घ	सामूहिक बलात्संग	कम से कम बीस वर्ष का कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना,	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

		जिसका संदाय पीडि+ता को किया जाएगा।			
376ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
XX	XX	XX	XX		XX

XX **XX** **XX** **XX** **XX**

<u>2018 का विधेयक सं.10</u>

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को इनके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(गुलाब चन्द कटारिया, **प्रभारी मंत्री**)

<u>Bill No.10 of 2018</u>

THE CRIMINAL LAWS (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal procedure, 1973 in their application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Gulab Chand Katariya, **Minister-Incharge**)